

# **GALGOTIAS EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

1, Knowledge Park-II, Greater NOIDA, Uttar Pradesh, 201310

Date: 12-Jun-2024

## **NOTICE**

### **Regarding UFM Cases during the odd semester examination (Phase-II), session 2023-24**

Ref.: AKTU Circular ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2024/993 dated 11-Jun-2024.

All those students who were caught in UFM during the odd semester phase-II examination, 2023-24 (March 06-30, 2024) are informed that they should submit their viewpoint/explanation in related to the offence of UFM to the COE, AKTU at the email id **aktuufm@gmail.com** latest by **18-Jun-2024**. If a student does not send his clarification before the due date, it will be deemed that the student has nothing to say in this matter.

**Students must mention their AKTU Roll Number & Subject Code of the UFM and will send an email only once.**



**REGISTRAR**

- CC:
1. Hon'ble Chairman - for kind Information please
  2. Hon'ble CEO - for kind information please
  3. Director-GCET/Director-GIMT/Director-GCOP
  4. All Deans/HODs
  5. All Notice Board



डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०  
(पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय)  
सेक्टर-11 जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए०के०टी०यू०/प०नि०का०/2024/993

दिनांक 11 जून, 2024

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,  
डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

**विषय:** शैक्षिक सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर द्वितीय चरण की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग (UFM) के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के विषम सेमेस्टर द्वितीय चरण की परीक्षाएं जो दिनांक 06 मार्च 2024 से दिनांक 30 मार्च, 2024 के मध्य सम्पन्न करायी गयी थी। उक्त परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले जो छात्र/छात्रा परीक्षा के दौरान अनुचित साधन प्रयोग (UFM) के अन्तर्गत पाये गये हैं, ऐसे सभी छात्र/छात्राएं अपना स्पष्टीकरण पत्र के माध्यम से दिनांक 18 जून, 2024 तक परीक्षा विभाग के ईमेल [aktuufm@gmail.com](mailto:aktuufm@gmail.com) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। ताकि संबंधित छात्र/छात्रा के परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व संबंधित छात्र के द्वारा प्रस्तुत पक्ष पर UFM समिति द्वारा अवलोकन करते हुए यथोचित निर्णय लिया जा सके। यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा निर्धारित उक्त तिथि तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा यह मान लिया जायेगा कि संबंधित छात्र/छात्रा को कुछ नहीं कहना है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि संबंधित छात्र द्वारा अपना स्पष्टीकरण देते समय अनुक्रमांक एवं संबंधित विषय कोड अवश्य लिखा जाय तथा ई-मेल केवल एक ही बार किया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त से संबंधित छात्र/छात्राओं को सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
11/06/2024  
(प्रो० राजीव कुमार)  
परीक्षा नियंत्रक